न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं0 04/2025 (GCMS 2025/4)

अपीलांट **बनाम** **रेस्पोडेण्ट**

1. देवीसिंह पुत्र हीरसिंह
2. दीपसिंह पुत्र हीरसिंह
3. हीरसिंह पुत्र श्री सतीदानसिंह जाति राजपूत निवासी सियो की ढाणी रामा ख्याला तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

राज सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

अधिवक्ता

1. श्री सी.आर. चौधरी (अधिवक्ता अपीलांट संख्या 01 से 03)
2. पैरोकार राज, नायब तहसीलदार (रेस्पोडेण्ट की ओर से)

—::निर्णय::—

दिनांक 22.12.2025

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अपील के संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी द्वारा संवत 2081 में ग्राम ख्याला के खसरा नम्बर 72, 175, व 176 में रकबा कमशः 57—12 बीघा, 151—09 बीघा व 123—16 बीघा भूमि किस्म बंजड़ बारानी में रकबा कमशः 20, 15, व 25 40 बीघा कुल रकबा 60 भूमि पर अपीलांटगण द्वारा तारबंदी कर अतिकमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की कई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहगढ़ द्वारा अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलांटगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बगैर प्रकरण संख्या 45/2024 अर्न्तगत धारा 91(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में दिनांक 09.09.2024 को निर्णय पारित कर अपीलांट को अतिकमी घोषित कर तीन माह का सिविल कारावास और वार्षिक लगान रूपये 3/— का पचास गुणा 150/— रूपये का जुर्माना आरोपित किया। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध त्वरित गति से कार्यवाही कर निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्य संबंधी बड़ी भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। ग्राम ख्याला के खसरा नम्बर 197 रकबा 3.5192 भूमि अपीलांटगण की खातेदारी भूमि है और खसरा नम्बर 72, 175, व 176 में रकबा कमशः 57—12 बीघा, 151—09 बीघा व 123—16 बीघा भूमि अपीलांटगण की खातेदारी भूमि के लगती हुई भूमि है। अपीलांट के खातेदारी खेत का केई सीमाज्ञान नहीं किया गया है इसलिए अपीलांटगण ने मौके पर फसल की सुरक्षा के लिए तारबंदी करवायी थी। अपीलांटगण द्वारा राजकीय भूमि पर कोई काश्त नहीं की गई है। अपीलांटगण ने अपील में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर न देकर दिनांक 30.09.204 को एक तरफा निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट को उक्त पारित निर्णय की जानकारी होने तथा इसकी नकल प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेण्ट तहसीलदार फतेहगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार न्यायालय तहसीलदार फतेहगढ़ के प्रकरण संख्या 45/2024 में ग्राम ख्याला के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 72, 175, व 176 में रकबा कमशः 20, 15, व 25 40 बीघा कुल रकबा 60 भूमि पर अतिकमी अपीलांटगण के विरूद्ध जुर्माना और बेदखली एवं कारावास का निर्णय न्यायालय तहसीलदार, फतेहगढ़ द्वारा दिनांक 30.09.2024 को पारित किया गया था। अतिकमी द्वारा उक्त राजकीय भूमि को अभी तक खाली नहीं किया गया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। रेस्पोडेण्ट के द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना—पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अतः अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाती है।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया है कि है कि ग्राम ख्याला के खसरा नम्बर 197 रकबा 3.5192 भूमि अपीलांटगण की खातेदारी भूमि है और खसरा नम्बर 72, 175, व 176 में रकबा क्रमशः 57–12 बीघा, 151–09 बीघा व 123–16 बीघा भूमि अपीलांटगण की खातेदारी भूमि के लगती हुई भूमि है। अपीलांट के खातेदारी खेत का केई सीमाज्ञान नहीं किया गया है इसलिए अपीलांटगण ने मौके पर फसल की सुरक्षा के लिए तारबंदी करवायी थी। अपीलांटगण द्वारा राजकीय भूमि पर कोई काश्त नहीं की गई है। अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.204 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेण्ट के द्वारा कथन किया गया है कि अपीलांट के द्वारा ग्राम ख्याला के खसरा नम्बर 72, 175, व 176 में रकबा क्रमशः 20, 15, व 25 40 बीघा कुल रकबा 60 भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जिस संबंध में आलोच्य निर्णय रेस्पोडेण्ट द्वारा उन्हें प्राप्त अधिकारों के तहत पारित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

उभयपक्षों की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विवादग्रस्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांट का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक एवं अधिकार निहित होने के कोई साक्ष्य दस्तावेज अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने के कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय यथावत रखा जाता है। उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर,
जैसलमेर

जिला कलक्टर
जैसलमेर